

**SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE
CODE, 1898**

In the court of - - - **PANKAJ SHARMA** - - - -Magistrate- - - - **First**- - - - - Class
Case No-- - - - -of 20- - - Complaint of report made on- - - - -
Name and address of the complainant- - - - -

Name parentage caste and address of accused

ब्रजेन्द्र पुत्र नाथू सिंह गुर्जर, उम्र 35 वर्ष।
निवासी :- ग्राम खडेर, थाना :- गोहद, जिला-भिण्ड, म.प्र.।

The office complained of, and date of, its alleged commission- यह कि आप आरोपी ने दिनांक :- 23/10/17 को, स्थान :- शेरपुर पुलिया के पास, आपने आधिपत्य के वाहन ट्रेक्टर जिस पर रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित नहीं था, को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से खतरनाक तरीके एवं तेजी गति से शराब पीकर चलाया।

02. आप आरोपी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया।

और इस प्रकार आप आरोपी ने धारा 185, 184, 146/196 एवं 112/183 "ख" मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

तुम्हे उक्त अपराध करना स्वीकार है अथवा प्रतिरक्षा चाहते हो ?

The plea of the accused and his examination 3.(if)

मुझे उक्तरोक्त आरोप स्वेच्छया स्वीकार है।

The office proved] if any] and in case under clause (d)] clause(f) or clause(g)] or subsection(i) of Section 260] the value of the property in respect of which the offence has been committed.

GRPJ 426-101-28M-11-96

—: निर्णय :—
(आज दिनांक :- 28/10/2017 को घोषित)

- 1— अभियुक्त ब्रजेन्द्र ने धारा 185, 184, 146/196 एवं 112/183 “ख” मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बिना किसी दवाब के स्वेच्छापूर्वक अपना अपराध करना स्वीकार किया है।
- 2— अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक अपराध स्वीकारोक्ति के परिणाम स्वरूप उसे धारा :- 185, 184, 146/196 एवं 112/183 “ख” मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
- 3— अभियुक्त ब्रजेन्द्र को धारा 185 मोटर यान अधिनियम के अपराध में दोषी पाकर 2000/—रुपये के अर्थदण्ड से, धारा 184 मोटर यान अधिनियम के लिए 2000/— रुपये एवं धारा 146/196 मोटर यान अधिनियम के लिए 1000/— रुपये एवं धारा 112/183 “ख” मोटर यान अधिनियम 300/— रुपये तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया जाता है।
- 4— अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदायगी में व्यतिक्रम किये जाने पर एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

स्थान :-

दिनांक :-

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद, जिला-भिण्ड